न्यायालय सहायक जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या / 2016 / 98

ब्रिजकालीन्दी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 6 / 435 विद्याधर नगर, जयपुर जरिये निदेशक श्री विनय अग्रवाल पुत्र श्री बृजमोहन अग्रवाल, आयु 32 वर्ष, जाति महाजन, निवासी 6 / 435 विद्याधर नगर, जयपुर।

–वादी

बनाम

1. जंगल राम पुत्र श्री जगन्नाथ जाट
2. रामनाथ पुत्र श्री जगन्नाथ जाट
3. रामेश्वर पुत्र श्री जगन्नाथ जाट
4. लालाराम पुत्र श्री जगन्नाथ जाट
   समस्त जाति जाट, समस्त निवासीयान ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. जीवण पुत्र महादेव जाट, निवासी ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।(मृतक दौराने दावा)
   5 / 1 श्रीमती मनभर पत्नी स्व0 श्री जीवण राम, जाति जाट, निवासी ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकासमा अन्तर्गत धारा 53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दिनांक : 30/12/19

निर्णय

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी भूमि खसरा नंबर 33 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 35 / 629 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32 / 1 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, ग्राम टीलावास, पटवार हल्का देवलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। वादी ने खसरा नंबर 33 रकबा 0.3000 हैक्टेयर में से 14 / 15 वॉ हिस्सा एवं खसरा नंबर 35 / 629 रकबा 0.0300 हैक्टेयर में से 1 / 3 हिस्सा तथा खसरा नंबर 32 / 1

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

रकबा 0.0200 में से 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था एवं खरीद करने के पश्चात उपरोक्त विक्रय पत्र के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अमल दरामद किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 व पूर्व खातेदार ललिता देवी पत्नी श्री रामेश्वर श्रीमती गुलाब देवी पत्नी दानाराम ने आपसी सहमति से विभाजन कर रखा था तथा उसी के मुताबिक गुलाब देवी व ललिता देवी ने अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर रखा था तथा मय बाउण्ड्रीवाल वादी को बेचान किया था। वादी द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि मय निर्मित शुदा बाउण्ड्रीवाल क्रय करने के पश्चात बिना किसी बाधा के निरन्तर रूप से काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत रूप से तकासमा नहीं हो रखा है। वादी अपनी खरीद शुदा भूमि पर काबिज काश्त है जिसके संबंध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा पूर्व में कभी कोई आपत्ति व एतराज नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अपने दर्ज राजस्व रिकॉर्ड व हिस्से अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। चूँकि उक्त भूमि का विधिवत रूप से तकासमा ना होने के कारण खातेदारान् को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से मौके व कब्जे के अनुसार तकासमा कराये जाने के संबंध में कई मर्तबा निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वादी को यह आश्वस्त किया जाता रहा कि आप अपनी बाउण्ड्रीवाल शुदा आराजी भूमि खरीद कर, भूमि पर काबिज काश्त हो तथा हम अपनी भूमि पर काबिज काश्त है यदि आप विधिवत रूप से तकासमा करवाना चाहते हो तो हम तहसील कार्यालय में चलकर तकासमा करवा लेगें। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा मौके व कब्जे के अनुसार तकासमा करवाने हेतु प्रतिवादीगण सहमत हो गये थे परन्तु वे उसे मात्र आश्वासन देते रहे तथा दिनांक 21.10.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वादी को तकासता करवाने से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। इस कारण वी को उपरोक्त वर्णित भूमि का मौके व कब्जे के अनुसार तकासमा करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्व वाद प्रस्तुत करना लाजिमी आया है। वादी को वाद कारण सर्वप्रथम दिनांक 21.10.2016 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने विधिवत रूप से तकासमा करने से मना कर दिया, जो कि लगातार हरक्षण जारी है। अन्त में प्रार्थना की गई है कि दावा वादी, विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

किया जाकर, विवादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नंबर 33 रकबा 0.3000 हैक्टेयरमें से 14/15 वॉ हिस्स एवं खसरा नंबर 35/629 रकबा 0.0300 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा एवं खसरा नंबर 32/1 रकबा 0.0200 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा है जो वाकै ग्राम टीलावास, पटवार हल्का देवलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य मौके व. कब्जे के अनुसार तकासमा किया जाकर पृथक–पृथक लगायत कायम किया जावें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस प्रमाणित प्रति, विक्रय पत्र दिनांक 13.02.2014 की फोटो प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री महावीर प्रसाद कसवॉ एडवोकेट उपस्थित आयें। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को जवाब दावा हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा पेश नही करने पर जवाब दावा का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 5/1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 5/1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील उभयपक्ष ने वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2071 से 2074 ग्राम टीलावास पटवार हल्का देवलिया भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी एवम् प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजी है जिसमें वादी एवम् प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। जिनके मध्य आदिनांक तक विधिक तकासमा नही हुआ है वादी एवम् प्रतिवादीगण वाद में कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा कराने हेतु सहमत है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर जब वादी एवम् प्रतिवादीगण तकासमा कराने हेतु सहमत है तो वाद में तकासमा किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 33 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 35/629 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32/1 रकबा 0.0200

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर, ग्राम टीलावास, पटवार हल्का देवलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड भौतिक कब्जे काश्त अनुसार विधि सम्मत ''बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स'' उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक / भू0अ0 / डिक्री / 2019 / 4499 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई जो निम्नानुसार हैः–

रिकॉर्ड मुताबिक स्थिति :–

नाम ग्राम	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
टीलावाला खाता सं. (57)	जंगलाराम पुत्र जगन्नाथ हि0 1/60 रामनाथ पुत्र जगन्नाथ हि0 1/60 रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ हि0 1/60 लालाराम पुत्र जगन्नाथ हि0 1/60 जाति जाट सा0देह खातेदार, ब्रिजकालीन्दी इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा0लि0 रजि0 कार्यालय 6/435 विधाद्यर नगर जयपुर हि0 14/15 खातेदार	33	0.30	चाही 3 जाव 3	5.13 0.51
	किता	1	**0.30**		**5.64**
टीलावाली खाता सं (58)	जंगलाराम पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/6 रामनाथ पुत्र जगन्नाथ हि0 1/6 रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ हि0 1/6 लालाराम पुत्र जगन्नाथ हि0 1/6 जाति जाट सा0देह खातेदार, ब्रिजकालीन्दी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 रजि0 कार्यालय 6/435 विद्याधर नगर जयपुर हि0 1/3 खातेदार	35/629	0.03	चाही 3	0.62
	किता	1	**0.03**		**0.62**
टीलावाला खाता सं (58)	ब्रिजकालीन्दी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 रजि0 कार्यालय 6/435 विद्याधर नगर जयपुर हि0 1/2 खातेदार, मनभर पत्नि स्व0 जीवन हि0 1/2 जाति जाट सा0देह खातेदार	32/1	0.02	चाही 3	0.41
	किता	1	**0.02**		**0.41**

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

विभाजन प्रस्ताव अनुसार :–

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	टीलावाला	ब्रिजकालीन्दी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 रजि0 कार्यालय 6/435 विद्याधर नगर जयपुर	33	0.28	चाही 3 0.25 जाव 3	
			35/629 मि0	0.01	0.03 चाही 3	
		किता	**2**	**0.29**		
2	टीलावाला	जंगलराम, रामनाथ, रामेश्वर, लालाराम पुत्र जगन्नाथ जाति जाट सा0देह खातेदार	33 मि0	0.02	जाव 3	
			35/629	0.02	चाही 3	
		किता	**2**	**0.04**		
3	टीलावाला शामलाती	ब्रिजकालीन्दी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 रजि0 कार्यालय 6/435 विद्याधर नगर जयपुर हि0 1/2 मनभर पत्नि स्व0 जीवन हि0 1/2 जाति जाट सा0देह	32/1	0.02	चाही 3	
		किता	**1**	**0.02**		

उपरोक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता को अवसर देने के उपरांत भी बहस नही करने पर बहस का अवसर बंद किया गया। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर बगौर मनन किया प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवम् नक्शा ट्रेस के आधार पर वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पर्चा लगान जारी करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। इस आश्य का पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 30/12/19 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.01.17 13:15:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: